न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल।
कार्यालय आदेश सं0 **154 / 2024** नैनीताल, दिनांकित **27 / 05 / 2024**

माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा ***कर्नाटक राज्य बनाम शिवन्ना उर्फ टर्कारी शिवन्ना (2014) 8 एस.सी.सी. 913*** में दी गयी विधि व्यवस्था तथा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नैनीताल जिले के; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (अग्रेतर पोक्सो एक्ट अभिलिखित) से संबंधित व धारा 164 (5क) दण्ड प्रकिया संहिता में वर्णित मामलों में व संबंधित अपराध में पीड़ित महिला से संबंधित मामलों में; धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत बयान अंकित किये जाने व उचित रूप से कार्य संपादन हेतु निम्नांकित माह **जून 2024** से **दिसम्बर 2024** तक का कार्य विभाजन आदेश पारित किया जाता है। यथा;

क्षेत्र संपूर्ण जनपद नैनीताल के पोक्सो एक्ट से संबंधित मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान अंकन हेतु कार्य विभाजन		
क.सं.	**माह**	**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
1.	जून 2024	सिविल जज(सी.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
2.	जुलाई 2024	प्रथम अपर सिविल जज(जू.डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
3.	अगस्त 2024	सिविल जज(सी.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
4.	सितम्बर 2024	प्रथम अपर सिविल जज(जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
5	अक्टूबर 2024	सिविल जज(सी.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
6.	नवम्बर 2024	प्रथम अपर सिविल जज(जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
7.	दिसम्बर 2024	सिविल जज(सी.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी

बहिरस्थ न्यायालय हल्द्वानी से संबन्धित धारा 164 (5क)द0प्र0सं0 में निर्दिष्ट मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान अंकन हेतु कार्य विभाजन		
क.सं.	**माह**	**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
1.	जून 2024	सिविल जज(सी.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
2.	जुलाई 2024	प्रथम अपर सिविल जज(जू.डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
3.	अगस्त 2024	सिविल जज(सी.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
4.	सितम्बर 2024	प्रथम अपर सिविल जज(जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
5	अक्टूबर 2024	सिविल जज(सी.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
6.	नवम्बर 2024	प्रथम अपर सिविल जज(जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी
7.	दिसम्बर 2024	सिविल जज(सी.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी

जनपद मुख्यालय नैनीताल न्यायालयों से सम्बन्धित धारा 164 (5क) द0प्र0सं0 में निर्दिष्ट मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान अंकन हेतु कार्य विभाजन		
क.सं.	**माह**	**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
1.	जून 2024	प्रथम अपर सिविल जज(जू0डि0) / जे0एम0, नैनीताल
2.	जुलाई 2024	द्वितीय अपर सिविल जज(जू0डि0) / जे0एम0, नैनीताल
3.	अगस्त 2024	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल
4.	सितम्बर 2024	सिविल जज(जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल
5	अक्टूबर 2024	प्रथम अपर सिविल जज(जू0डि0) / जे0एम0, नैनीताल
6.	नवम्बर 2024	द्वितीय अपर सिविल जज(जू0डि0) / जे0एम0, नैनीताल
7.	दिसम्बर 2024	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल

बहिरस्थ न्यायालय, रामनगर न्यायालयों से सम्बन्धित धारा 164 (5क) दं0प्र0सं0 में निर्दिष्ट मामलों में धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान अंकन हेतु कार्य विभाजन
माह जून 2024 से माह दिसम्बर 2024 तक सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनगर बाह्य न्यायालय रामनगर में एकमात्र महिला न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं, उनके द्वारा ही धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत धारा 164(5क) के अधीन आने वाले मामलों से संबंधित बयान दर्ज किये जायेंगे।

➢ सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनगर के अवकाश में रहने या स्टेशन से बाहर रहने पर उक्त कार्य का सम्पादन हल्द्वानी में महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

➢ इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल को संदर्भित किया जायेगा।

➢ उक्त ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेट (महिला अधिकारी) की अनुपस्थिति पर, जिला/स्टेशन में उक्त कार्य का संपादन बहिरस्थ न्यायालय हल्द्वानी व रामनगर एवं मुख्यालय नैनीताल हेतु उपरोक्त तालिका के अगले क्रम के न्यायिक अधिकारी (महिला अधिकारी) द्वारा क्रमानुसार किया जायेगा।

➢ यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत न्यायहित में उक्त निर्दिष्ट मामलों में यदि अपरिहार्य हो तो जिला/स्टेशन में उपस्थित किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट (महिला अधिकारी) के द्वारा धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के बयान अंकित किये जा सकते हैं।

➢ यदि अपरिहार्य स्थिति के कारण कोई महिला अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं हैं तब जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला/स्टेशन पर उपस्थित होंगे, वह उक्त कार्य का संपादन करेंगे और बयान अंकित किये जाने के बाद उसे संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट नियमानुसार माननीय पोक्सो न्यायालय/संबंधित न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

➢ धारा 164 (5क) के अधीन बयान दर्ज किये जाने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि बयान दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र पहले संबंधित अधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाये तब उपरोक्त वर्णित महिला न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया जाये। उपरोक्त वर्णित डयूटी महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीधे संबंधित अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र बयान दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिनांक 27.05.2024

(रवि प्रकाश)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

<u>प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।</u>

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नैनीताल।
2. श्रीमान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हल्द्वानी।
3. समस्त सम्बन्धित मा0 न्यायालय, जजशिप नैनीताल।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
5. संयुक्त निदेशक (अभियोजन) नैनीताल।
6. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन नैनीताल, हल्द्वानी व रामनगर।
7. एक प्रति गार्ड फाइल हेतु।

दिनांक 27.05.2024

(रवि प्रकाश)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।